

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20 /पार्ट-1/से0नि0/2019/

दिनांक-

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	द्रोपदी कुमारी शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जयपुर	06.05.59	10.09.85	31.05.19
2	मेरी हेल्डा पी.एल., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	अलवर	05.05.59	05.06.86	31.05.19
3	पोन्नम्मा एम. आई., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	कोटा	20.05.59	01.10.81	31.05.19
4	कमला देवी शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	अलवर	16.07.59	10.10.90	31.07.19
5	अंजना शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	भरतपुर	30.07.59	17.08.82	31.07.19
6	अयोध्या, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जोधपुर	15.07.59	15.09.86	31.07.19
7	राधा पी0 आर0, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	सवाई माधोपुर	01.08.59	19.12.87	31.07.19
8	आनन्दवली पी0 वी0, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	टोंक	11.05.59	30.06.83	31.05.19

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

- 54 -

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर


क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20 /पार्ट 1/से0नि0/2019/631

दिनांक:- 3/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर।
3. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/सवाई माधोपुर/टोंक।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, थानागाजी, रैणी(अलवर)/(सांगोद) कोटा/रूपवास (भरतपुर)/भोपालगढ़/औसियां(जोधपुर)/सवाई माधोपुर/देवली, (टोंक)।

7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीकरी पट्टी (भरतपुर)/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालवाखुर्द, भोपालगढ़ (जोधपुर), राजमहल (टोंक)।
8. डी.पी.सी अनुभाग (नर्सिंग) मुख्यालय।
9. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश/निजी पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर